प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 11.08.2026

कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर पैसा लेने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष शाहपुर के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 गौरव राय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 72/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 115(2), 352, 351(3) भा0न्या0सं0 से संबंधित वांछित अभियुक्त धनंजय सिंह पुत्र सतदेव सिंह निवासी ग्राम हरनाथपुर ताड़ी बाजार थाना अंदर जनपद सिवान (बिहार) हा0मु0 रोहिनी सेक्टर-05/12 हाउस नं0 13 मंगोलपुरी एन ब्लॉक उत्तर पश्चिमी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा को विदेश (लीबिया व जार्डन) में नौकरी दिलवाने के नाम पर अभियुक्त द्वारा कूटरचित फर्जी वीजा व टिकट तैयार कर वादी से कुल 2,21,500 रूपये लिया गया। वादी मुकदमा द्वारा पैसे वापस माँगने पर अभियुक्त द्वारा गाली गुफ्ता देते हुए मारा पीटा गया व जान से मारने की धमकी दिया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

धनंजय सिंह पुत्र श्री सतदेव सिंह निवासी ग्राम हरनाथपुर ताड़ी बाजार थाना अंदर जनपद सिवान (बिहार) हा0मु0 रोहिनी सेक्टर-05/12 हाउस नं0 13 मंगोलपुरी एन ब्लॉक उत्तर पश्चिमी दिल्ली

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 72/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 115(2), 352, 351(3) भा0न्या0सं0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष अंजय कुमार सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 गौरव राय चौकी प्रभारी हड़वा फाटक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. कां0 इन्दल कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. कां0 अर्जुन यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर